

प्रमुख,

दुर्गा प्रसार विद्या निदेशन,

एक-11, जी०-ब्लाक, दुर्गा प्रसार दुबे मार्ग, गुजनी, कानपुर नगर।

विषय- निम्नलिखित और अनिवार्य बाह्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित और अनिवार्य बाह्य शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15के उप नियम (4) के अर्धीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रदान-पत्र।


संदर्भ

सातगढ़ सं०-08/असत-3-2018-2021/2018 के लिए शिक्षा अनुभाग-3 सतगढ़ विभाग 11 जनवरी 2019 एवं सातगढ़ संख्या-198/असत-3-2019-2021/2018 दिनांक 29 जून 2020 के लिए शिक्षा अनुभाग-3 में निर्दिष्ट निर्देशों के आलोक में अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आयेके आवेदन पर और इस संबंध में प्रांच अधिकारी के निर्देशानुसार उपलब्ध दर्ज गयी निर्दिष्टन आख्या के आलोक में मध्यम मान्यता समिति की बैठक दिनांक 25-02-2021 को लिए गए निर्देश के अन्तर्गत पर मैं दुर्गा प्रसार विद्या निदेशन, एक-11, जी०-ब्लाक, दुर्गा प्रसार दुबे मार्ग, गुजनी, कानपुर नगर को पत्रा 8 से पत्रा 8 तक के लिये अंग्रेजी माध्यम और प्राथमिक (आर्या) मान्यता प्रदान एक वर्ष के लिए प्रदान करने की संतुषणा देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है-

- 1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उत्तम किती की रूप में पत्रा 8 के पर्याय मान्यता/संयोजन करने के लिये कोई सम्पदा स्थिति नहीं है।
 - 2-विद्यालय निम्नलिखित और अनिवार्य बाह्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (अनुबंध 1) और निम्नलिखित और अनिवार्य बाह्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (अनुबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
 - 3-विद्यालय प्राथमिक कक्षा में बालकों को संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के उपजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा। और उन्हें निम्नलिखित और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करदेगा।
 - 4-परत- 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2)के उपबंधों के अनुसार प्रतिपुरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपुरित प्राप करने के लिये विद्यालय एक पूरक बैठ जाता रहेगा।
 - 5-सोसाइटी /विद्यालय किसी कंविटेसन बुक का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संयोजक को किसी स्कूलिन प्रविष्टि के अधीन नहीं करेगा।
 - 6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का समुत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा, और यह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - I. प्रवेश दिने गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी उच्च में केंद्र नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - III. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - IV. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रवेश बालक को नियम 26 के अर्धीन अधिलिखित लिये गये अनुसार एक प्रदान-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निरक्षरता हस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - VI. अध्यापकों की नयी अधिनियम की धारा-25 (1)के अर्धीन दया अधिलिखित न्यूनतम अर्धीन के साथ ही जाती है,परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्धीन नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्धीन अधिलिखित करें।
 - VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अर्धीन निर्दिष्ट करने दर्जनों का पालन करता है, और
 - VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करें।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत पर सतगढ़ का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में दया निर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्निवनों को बनाये रहेगा। अन्तिम निर्दिष्टन के समय रिपोर्ट की नई प्रस्तुतियाँ निम्नानुसार है-

क्रमांक	विद्यालय में उपलब्ध प्रस्तुतियाँ	दिनांक
1	विद्यालय परिसर का संरक्षण	7779 वर्ग मीटर
2	कुल निर्मित क्षेत्र	6436 वर्ग मीटर
3	श्रीका स्वत का संरक्षण	-
4	कक्षाओं की संख्या	6
5	प्रधानाध्यापक -सह कार्यालय- सह मध्यमकार के लिये कक्ष	2
6	बालक/बालिकाओं के लिये पूरक शौचालय	2/2
7	वेग जल सुविधा	सबसंविष्टत अन्य उपलब्ध है।
8	कक्षा रहित भूख	दया रहित भूख उपलब्ध है।
9	अध्यापक पढ़ने सामग्री/श्रीका खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता	उपलब्ध है।

- 9- विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई भी मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
- 10- विद्यालय बच्चों या संरचनाओं या छोटा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या उत्तमव्य प्रकृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगन या किसी अन्य व्यक्तियों के नाम के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा समीक्षा की जानी चाहिये। और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये, तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष, जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक जूएचओ स्कूल-अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम/2020-21/12 है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिये अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता संबंधी शर्तों के तहत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
- 17- संलग्न उपरोक्त के अनुसार अन्य कोई शर्त।


 (का) पवन कुमार तिवारी
 जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी
 कानपुर नगर।

पूस्ता/प्रोमोशिया-4/ 29496-504 /2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निर्माकित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- शिक्षा निदेशक (डि) उत्तर प्रदेश निम्नतम गंज राजनऊ।
- 2- सचिव वैशिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- माडलरीय सहायक शिक्षा निदेशक (डि) कानपुर माडल कानपुर।
- 4- जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 5- अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 6- पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 7- संयुक्त छात्र शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर।
- 8- कार्यालय प्रति।

जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी
 कानपुर नगर।

Chairman's signature

के. पदमेव

Principal's signature

